

स्कूल प्रवेश परीक्षा 2014 महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. आवेदन पत्रों के ऑनलाईन उपलब्ध होने तथा प्रस्तुत करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण तिथियाँ
प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर सेट 2014 ऑनलाईन फार्म के उपलब्ध होने की तारीख : 10.03.2014
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 11.04.2014
2. ऑनलाईन प्रवेश पत्र उपलब्ध/जारी करने की तिथि : 5 मई 2014 से परीक्षा की तिथि तक
3. प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं समय :

कक्षा 11 गणित वर्ग	: 17 मई 2014 (प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक)
कक्षा 9	: 18 मई 2014 (प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक)
कक्षा 11 जीवविज्ञान वर्ग	: 18 मई 2014 (दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक)
कक्षा 11 वाणिज्य एवं कला वर्ग	: 19 मई 2014 (प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक)
4. प्रवेश परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने की अनुमानित तिथि : 16 जून 2014
5. प्रवेश/काउन्सेलिंग की अनुमानित तिथि एवं समय

कक्षा 9	: 23 जून 2014
कक्षा 11 गणित वर्ग	: 24 जून 2014
कक्षा 11 जीवविज्ञान वर्ग	: 25 जून 2014
कक्षा 11 वाणिज्य एवं कला वर्ग	: 26 जून 2014
(प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक)	

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सेन्ट्रल हिन्दू बायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल प्रवेश परीक्षा—सूचना पत्रक

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित सेन्ट्रल हिन्दू बायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल स्कूल में कक्षा 9 तथा 11 में छात्र एवं छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है।

6. विद्यालय

डॉ० एनी बेसेन्ट द्वारा सन् 1898 में संस्थापित सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की आधारशिला पर जन्मे सेन्ट्रल हिन्दू बायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल सम्प्रति वाराणसी शहर के हृदय-स्थल कमच्छ क्षेत्र के विशाल भवनों में स्थापित हैं। अपने गौरवमय अतीत को समेटे हुए ये दोनों विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् दिल्ली से सम्बद्ध होकर बालक एवं बालिकाओं को कला, वाणिज्य, गृह विज्ञान, विज्ञान एवं कृषि वर्ग में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, व्यायाम एवं पाठ्येतर क्रियाकलापों की विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने में संलग्न है। दोनों विद्यालयों में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ हैं जो छात्रों को सभी प्रायोगिक विषयों में विशेषदक्षतायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त दोनों विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की स्थल सेना एवं वायुसेना की शाखाएँ हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का हिस्सा होने के कारण यहाँ के छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उन सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं जो सामान्यतः विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त है। दोनों ही विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है।

7. वार्षिक अर्हताएँ :

कक्षा 9 : अभ्यर्थी कक्षा 8 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितम्बर 2014 को अभ्यर्थी की आयु 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच हो।

कक्षा 11 : 30 सितम्बर 2014 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो तथा अभ्यर्थी ने कक्षा 10 की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से निम्नांकित के अनुरूप उत्तीर्ण की हो:

बाह्य अभ्यर्थी के लिए (SET परीक्षा के माध्यम से आने वाले छात्र/छात्रा)

- विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु हाईस्कूल परीक्षा में कुल 50% से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए विज्ञान तथा गणित दोनों विषयों में पृथक्-पृथक् 50% से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है।

- वाणिज्य वर्ग में प्रवेश हेतु हाईस्कूल परीक्षा में कुल 40% से अधिक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है।
- कला वर्ग में प्रवेश हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त अर्हताओं के साथ-साथ वही अभ्यर्थी (अनु. जाति तथा अनु. जनजाति को छोड़कर) प्रवेश के योग्य माने जायेंगे, जिन्होंने विद्यालय प्रवेश परीक्षा (जिसमें वे बैठ रहे हैं) में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किये हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र अथवा पुत्रियों तथा शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में भी यही शर्त लागू होगी। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार आरक्षित स्थानों पर कक्षा 11 में प्रवेश दिया जायेगा।

8. न्यूनतम सीट उपलब्धता

ब्यायज स्कूल के लिए : कक्षा 9 – 190, कक्षा 11 गणित – 38+50*, कक्षा 11 जीवविज्ञान – 25, कक्षा 11 वाणिज्य – 14, कक्षा 11 कला – 14

गल्फ स्कूल के लिए : कक्षा 9 – 102, कक्षा 11 विज्ञान – 33, कक्षा 11 वाणिज्य – 25, कक्षा 11 कला – 25

कक्षा 11 के लिए सूचना :

- कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्रों के लिए सेन्ट्रल हिन्दू ब्यायज स्कूल में प्रत्येक वर्ग में 25% स्थान आरक्षित है। कक्षा 11 की प्रत्येक वर्ग में 25% के अतिरिक्त 50* सीटें केवल गणित वर्ग में बाहरी छात्रों (बी.एच.यू. कैटेगरी को छोड़कर) के लिए जो प्रवेश-परीक्षा के माध्यम से आयेंगे, सेन्ट्रल हिन्दू ब्यायज स्कूल में आरक्षित है।
- सेन्ट्रल हिन्दू गल्फ स्कूल में विज्ञान वर्ग में 33 सीटें, वाणिज्य वर्ग के 25 तथा कला वर्ग में 25 सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी जो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आयेंगे। दोनों विद्यालयों में बाहरी छात्रों के लिए सीट की संख्या में वृद्धि विद्यालयीय छात्रों के प्रवेश पर आधारित रहेगी।

9. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम :

कक्षा 9 : टेस्ट प्रश्नपत्र कक्षा 8 के स्तर का होगा, जिसमें अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं सामान्य विज्ञान विषय सम्मिलित होंगे।

कक्षा 11: टेस्ट प्रश्नपत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के स्तर का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:

गणित वर्ग : अंग्रेजी, हिन्दी, भौतिक, रसायन, गणित एवं सामान्य अध्ययन।

जीवविज्ञान वर्ग : अंग्रेजी, हिन्दी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन।

वाणिज्य एवं कला वर्ग : अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल एवं सामान्य अध्ययन।

10. आरक्षण :

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पारित परिनियमावली दिनांक 29/30 मार्च 1996 के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में आन्तरिक छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त उपलब्ध* रिक्त स्थानों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15%
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.5%
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण—पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति काउन्सलींग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं :—

- (अ) जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/इक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिशनर।
- (ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
- (द) उस क्षेत्र का प्राखणिडक अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
- (य) प्रशासक/प्रशासक—सचिव/विकास अधिकारी (लक्ष्मीप समूह)।

अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिये कि अन्य किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति/जनजाति भारत सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से होना चाहिए :— (अ) अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का नाम (ब) क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है? (स) जिला एवं राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का नाम जहाँ का वह सामान्यतया निवासी है, और (द) भारत सरकार की परिनियमावली जिसके अन्तर्गत उसकी जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। परन्तु, यदि कोई अभ्यर्थी किसी अन्य श्रेणी में प्रवेश लेने के इच्छुक है (उदाहरणार्थ : शारीरिक विकलांगता/कर्मचारी

प्रतिपाल्य वर्ग आदि) में प्रवेश लेता/पाता है तो उसे उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता को पूर्ण करना होगा।

- शरीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए 3%
- शरीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों (फिजिकली चैलेन्जर्ड) को अपने जिले के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया 'विलांगता प्रमाण—पत्र' की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् के समक्ष उपस्थित होना होगा।
- 50% स्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों के उन पुत्र व पुत्रियों के लिए आरक्षित होंगे, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक अर्जित किए हैं। यदि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित 50% स्थानों पर कोई आन्तरिक छात्र उपलब्ध नहीं होता है तो यह रिक्तस्थान साधरण वर्ग की रिक्तियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारियों के पुत्र अथवा पुत्रियों (आंतरिक अभ्यर्थियों को छोड़कर) के लिए उनके माता/पिता के विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी होने का एल.टी.सी. सेल, बी.एच.यू. द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

* रिक्त स्थानों की उपलब्धता विद्यालय की गृह परीक्षा/बोर्ड परीक्षा के परीक्षा—परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पर निर्भर करती है। कभी—कभी बाह्य छात्रों के लिए कक्षा विशेष में स्थान बिल्कुल नहीं उपलब्ध हो पाता है या फिर अत्यन्त न्यून संख्या में रिक्त हो पाता है। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थियों को इस स्थिति को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए।

11. सामान्य सूचनाएँ :

- क) सेन्ट्रल हिन्दू व्यायज स्कूल अथवा सेन्ट्रल हिन्दू गल्स्स स्कूल से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प उपलब्ध है। वे बाह्य अभ्यर्थी एवं आन्तरिक अभ्यर्थी दोनों की सुविधा नियम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु यदि उन्हें कक्षा 6 व्यायज स्कूल और कक्षा 11 व्यायज एवं गल्स्स स्कूल में प्रवेश लेना है तो निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
- ख) सेन्ट्रल हिन्दू व्यायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गल्स्स स्कूल के वे नियमित छत्र/छात्राएँ जो पूरक (कम्पार्टमेन्टल) परीक्षा में शामिल होने के योग्य घोषित किए गये हैं, वे यह पूरक परीक्षा प्रथम दो प्रयासों जुलाई (प्रथम) अथवा मार्च (द्वितीय) में उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो वे विद्यालय के नियमित छात्र माने जायेंगे।

ग) एन.सी.सी. के 'ए' प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों, यदि उन्होंने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक अर्जित किये हैं, को 3 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

घ) अभ्यर्थी आवेदन प्रत्र भरने के पूर्व भलीभाँति सुनिश्चित हो लें कि वे आवेदन पत्र में वाच्छित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं। काउन्सेलिंग के समय मूल प्रमाण पत्रों से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं का सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया प्रॉविजनल प्रवेश पत्र, उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत्य है। किन्तु प्रवेश या पात्रता के लिए अपेक्षित अंक प्राप्त कर लेना ही प्रवेश हेतु पर्याप्त नहीं माना जायेगा, जबतक वे अपेक्षित अर्हता शर्त पूरी नहीं कर लेते।

ड) अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा आरम्भ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षास्थल पर पहुँचना अनिवार्य है।

12. चयन—प्रक्रिया:

- प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की योग्यता सूची बनाई जायेगी एवं उसी के आधार पर कक्षा विशेष में रिक्त स्थान के अनुसार उन्हें प्रवेश दिया जायेगा। समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- कक्षा 9 तथा 11 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को सूचना पत्रक में निर्दिष्ट तिथि को काउन्सेलिंग के लिए उपस्थित होना तथा योग्यता सूची के अनुसार उन्हें वाच्छित विषय एवं कक्षा में तबतक प्रवेश दिया जाता रहेगा, जब तक रिक्त स्थान उपलब्ध होगा। कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने इच्छित वर्ग में विषय समूह का निर्धारण तुरन्त करना होगा तथा एकबार विषय समूह का निर्धारण कर लेने पर काउन्सेलिंग तिथि के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

नोट : अभ्यर्थियों को काउन्सेलिंग हेतु अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे योग्यता सूची में अपनी स्थिति देखें तथा काउन्सेलिंग हेतु अपनी उपस्थिति वांछित अभिलेखों (मूल अंक पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, वर्ग एवं जाति प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र इत्यादि) के साथ सुनिश्चित करें।

13. प्रवेश—परीक्षा में उत्तर देने की विधि:

- (i) परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न—पुस्तिका तथा अलग से उत्तर—पत्र दिये जायेंगे।
- (ii) प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि उसके प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिये।
- (iii) परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक प्रश्नपत्र एवं उत्तरपत्र के निर्दिष्ट स्थान पर बालपेन से लिख लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना अनुक्रमांक उत्तरपत्र के अधोभाग में उपयुक्त अण्डाकृति में नीले/काले बाल प्लाइंट पेन से अंकित करना चाहिये तथा उत्तर पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर बाल पेन

से प्रश्नपत्र पुस्तिका संख्या तथा सेट संख्या (यदि हो) अंकित करना चाहिये। (नोट— कृपया ध्यान दीजिए रोल नं. व सेट नं. के लिए अण्डाकृति को काला करने में त्रुटि हो जाने पर उत्तर पत्र का उसी के अनुरूप मूल्यांकन किया जायेगा। पुनः ध्यान दीजिए यदि सेट नं. (यदि कोई है), रोल नं. व अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण नहीं भरा गया है तो उत्तर पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक सेट नं. व रोल नं. के लिए अण्डाकृति को काला करना चाहिए।)

- (iv) परीक्षार्थी को बालपेन से अनुक्रमांक एवं प्रश्नपत्र उत्तरपत्र की क्रमसंख्या प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निर्दिष्ट स्थान पर अंकित करना है।
- (v) प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर 1,2,3 तथा 4 होंगे। परीक्षार्थी को उनमें जिसे सही उत्तर समझता है, उसका चयन करना है। उत्तरपत्र के प्रथम पृष्ठ पर वर्णित निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी द्वारा उपयुक्त उत्तर को उसके सही अण्डाकृति में नीले/काले बाल घाइंट पेन से दर्शाना है। उदाहरण के लिये यदि प्रश्न संख्या 15 के 4 वैकल्पिक उत्तरों (1), (2), (3) तथा (4) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिये (2) का चयन करता है तो उसे उपयुक्त अण्डाकृति में निम्नोक्त प्रकार से दिखाया जाना चाहिये।

प्रश्न संख्या 15

① ② ③ ④

- (vi) यदि परीक्षार्थी एक से अधिक अण्डाकृति को रंगता है तो उसका उत्तर गलत समझा जायेगा तथा यदि अण्डाकृति को काला करने की प्रक्रिया में असमानता है अर्थात् उसके द्वारा प्रत्येक प्रश्नोत्तरों के लिये बनाये गये काले अण्डाकृति में एकरूपता नहीं है तो भी गलत उत्तर समझा जायेगा। मार्किंग के लिये अपनायी गयी अन्य विधियां, यथा टिक मार्क, क्रास मार्क, बिन्दु का प्रयोग, लाइनमार्क तथा आधे भरे हुये अण्डाकृति व अण्डाकृति के बाहर बनाये गये मार्क का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (vii) परीक्षार्थी द्वारा यदि कोई प्रश्न हल करने का प्रयास नहीं किया जाता है और उस प्रश्न से सम्बद्ध सभी अण्डाकृतियों को खाली छोड़ देता है। ऐसे प्रश्नों के लिए जीरो अंक प्रदान किए जाएंगे।
- (viii) परीक्षा पुस्तिका के शीर्ष आवरण के अंतर्वर्ती पृष्ठ या परीक्षा पुस्तिका के अंत के स्थान/पृष्ठ अस्वच्छ लेखन कार्य (रफ कार्य) के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं।
- (ix) परीक्षा पुस्तिका के किसी भी पृष्ठ का फाड़ना या हटाना पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अनुचित साधनों के प्रयोग करने की सजा का भागी होगा तथा उसे प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी :

- (अ) यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका पर अनुक्रमांक, सेट सं० इत्यादि लिखने में/भरने में त्रुटि करता है तो त्रुटि निवारण की कोई गुंजाइश नहीं होगी तथा उत्तर पुस्तिका तथानुसार मूल्यांकित होगी।
- (ब) प्रवेश परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका प्रदान कर दी जायेगी।

(स) प्रश्नों/कुंजी के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

महत्वपूर्ण :

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि चूंकि उत्तर स्थाही से दर्शाये जा रहे हैं अतः एक बार दर्शाये गये उत्तर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा। (उत्तर में परिवर्तन के लिए हवाइटनर का प्रयोग वर्जित है।)

14. कक्षा 11 में उपलब्ध विषय समूह:

सेन्ट्रल हिन्दू बायज स्कूल

विज्ञान वर्ग

गणित वर्ग :

A1: 1. अग्रेजी; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. गणित; 5. कम्प्यूटर विज्ञान

A2, A3 एवं A4: 1. अग्रेजी; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. गणित; 5. हिन्दी कोर/संस्कृत कोर

जीव विज्ञान वर्ग :

B1: 1. अग्रेजी; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. जीव विज्ञान; 5. कम्प्यूटर विज्ञान/कृषि

B2: 1. अग्रेजी; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. जीव विज्ञान; 5. हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/गणित

वणिज्य वर्ग:

E: 1. अग्रेजी कोर; 2. एकाउण्टेन्सी; 3. वणिज्य अध्ययन; 4. अर्थशास्त्र; 5. गणित/संगीत (गायन)/शारीरिक शिक्षा/कम्प्यूटर विज्ञान

कला वर्ग:

F: 1. अग्रेजी कोर/हिन्दी कोर; 2. अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान; 3. इतिहास/शारीरिक शिक्षा; 4. मनोविज्ञान/भूगोल; 5. कम्प्यूटर विज्ञान/गणित/संगीत (गायन)/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर

टिप्पणी: ऐच्छिक विषय के रूप में गणित लेने के लिए छात्र को कक्षा 10 में गणित विषय में 50% से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड अवश्य होना चाहीए।

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल

विज्ञान वर्ग

गणित वर्ग :

1. अग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. गणित; 5. संस्कृत कोर/हिन्दी कोर/कम्प्यूटर विज्ञान/ संगीत/जीव विज्ञान

जीव विज्ञान वर्ग :

1. अग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. जीव विज्ञान; 5. कम्प्यूटर विज्ञान/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/संगीत

वणिज्य वर्गः

1. अंग्रेजी कोर; 2. अर्थशास्त्र; 3. एकाउण्टेन्सी; 4. गणित/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/कम्प्यूटर विज्ञान/संगीत; 5. वणिज्य अध्ययन

कला वर्गः

1. अंग्रेजी इलेक्ट्रिव/हिन्दी इलेक्ट्रिव; 2. राजनीति विज्ञान/पैण्टिंग/शारीरिक शिक्षा; 3. अर्थशास्त्र/गृह विज्ञान/भूगोल; 4. गणित/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/अंग्रेजी कोर/कम्प्यूटर विज्ञान/संगीत; 5. इतिहास/मनोविज्ञान

टिप्पणीः

1. हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा अनिवार्य है। वैसे एक साथ दोनों भाषाएँ भी चुनी जा सकती है।
2. भाषाओं में से प्रत्येक या तो कोर स्तर या इलेक्ट्रिव स्तर पर चुनी जा सकती हैं। एक ही भाषा दोनों स्तर पर एक साथ चुनने कि अनुमति नहीं है।
3. विषय समूह के चुनाव की अनुमति निश्चित रूप से प्रवेश परीक्षा (सेट) की योग्यता सूची के अनुरूप एवं वांच्छित विषय/विषय-समूह में सीटों की उपलब्धता के आधार पर ही दी जायेगी।
4. ऐच्छिक विषय के रूप में गणित (विज्ञान, वणिज्य, कला) लेने के लिए छात्र को कक्षा 10 में गणित विषय में 50% से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड अवश्य होना चाहीए।

15. आवेदन पत्र

विश्वविद्यालय ने इसके लिए www.bhuonline.in डोमेन नाम से प्रवेश परीक्षा पोर्टल तैयार किया है। इसका लिंक बी0 एच0 यू० की वेबसाइट (www.bhu.ac.in) पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2014–15 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन बनायी गयी है। तदनुसार, अभ्यर्थी ध्यान दें कि सेट 2014 सूचना पुस्तिका एवं आवेदन पत्र का विक्रय नहीं किया जाएगा (क्योंकि ऑफलाईन मोड नहीं होगा) और प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर नामांकन करना आवश्यक होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन—पत्र ऑनलाईन भरना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) देखें या (www.bhu.ac.in) देखें।

16. आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा :

अनु०जा० / जन०जा०	₹200.00
सामान्य	₹400.00

आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान का तरीका

अभ्यर्थी को सेट 2014 का आवेदन पत्र आनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विकल्प नहीं किये जायेंगे। आनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्प अपनाना है

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से आनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऐमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है

(ब) एचडीएफसी बैंक कि किसी शाखा में चालान के द्वारा प्रवेश परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकते हैं:

आवेदन पत्र भरने, जमा करने और भुगतान करने के मोड के चयन के पश्चात अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा पोर्टल से चालान का प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट किये गये चालान में अभ्यर्थी का सभी आवश्यक विवरण, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बैंक खाते का विवरण होगा जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा में निर्धारित शुल्क करना है।

इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में अन्य प्रक्रिया खंड 13 में दिया गया है।

टिप्पणी:

क) एससी/एसटी अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एससी/एसटी श्रेणी के अन्तर्गत विचार किये जायेंगे।

ख) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही दूसरे पाठ्यक्रम हेतु अन्तरित किया जायेगा तथा आगामी वर्षों के लिए आरक्षित भी नहीं होंगे।

17. आवेदन पत्रों के ऑनलाईन उपलब्ध होने तथा प्रस्तुत करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर सेट 2014 ऑनलाईन फार्म के उपलब्ध होने की तारीख : 10.03.2014

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 11.04.2014

18. आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश:

सेट 2014 हेतु आवेदन पत्र बीएचयू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र आनलाईन भरा जाना है। आवेदन पत्र भरने तथा आवेदन शुल्क जमा करने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश बी० एच० य० के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर दिये गये हैं। अभ्यर्थी को अपना फोटो तथा हस्ताक्षर पोर्टल में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन करने हैं और इस अपलोड करने हैं।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने तथा कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क/प्रवेश शुल्क के भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे

(अ) क्रोडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से आनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है

(ब) एचडीएफसी बैंक की किसी शाखा में चालान के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान के माध्यम से:

आवेदन पत्र भरने और इसे जमा करने के पश्चात भुगतान हेतु इस विकल्प का चयन करने के लिए अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा पोर्टल से प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट किये गये चालान में अभ्यर्थी का विवरण, काहिविवि के बैंक खाता का विवरण जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा और जमा की जाने वाली शुल्क राशि इत्यादि सभी आवश्यक विवरण होंगे। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा में अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा और बैंक चालान की एक प्रति अपने पास रखेगा तथा इसकी एक प्रति जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क के भुगतान सम्बन्धी आवश्यक विवरण उल्लिखित होंगे, अभ्यर्थी को वापस कर देगा। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वो चालान की एक प्रति अपने रिकार्ड के लिए रख ले। इस तरीके से, अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किये गये परीक्षा शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के बाद अभ्यर्थी आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकेगा।

नोट:

अभ्यर्थी द्वारा उपर दिये गये दोनों विधियों में से किसी भी एक प्रकार से आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद ही सेट आवेदन पत्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत माना जायेगा।

आवेदन पत्र के आनलाइन प्रस्तुत करने तथा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/परीक्षा शुल्क का सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात अभ्यर्थी को आनलाइन भरे गये फार्म (जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विवरण तथा आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी लेनदेन का ब्यौरा शामिल है) का एक प्रिंट आउट प्रवेश परीक्षा पोर्टल अथवा अभ्यर्थी के ईमेल अकाउन्ट से लिया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिकार्ड के लिए अपने पास इसकी एक प्रति रखें।

19. आवेदन पत्र अस्वीकृत होने के कारण:

(i) निर्धारित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क के बगैर आवेदन पत्र जमा करना।

(ii) आवेदन पत्र को किसी प्रकार से विकृत करना।

(iii) किसी अन्य कमी के पता चलने पर।

टिप्पणी : यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु अहं नहीं है, तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा/मानी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र, न्यूनतम आवश्यक अहंता, शैक्षणिक योग्यता के मूल

प्रमाण पत्र, संवर्ग आदि अभिलेखों की विस्तृत जांच प्रवेश के समय, यदि अभ्यर्थी को बुलाया गया, तो की जायेगी। अभ्यर्थी का अभ्यर्थन यदि वह अहं नहीं होगा तो उस समय भी निरस्त हो जायेगा।

20. जाँच सूची

आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा करने से पूर्व निम्नलिखित की विस्तृत जाँच कर लें :

- (i) क्या आपने निर्धारित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग / प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है ?
- (ii) आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना न भूलें यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर 'हस्ताक्षर' नहीं करता / करती है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

21. प्रवेश पत्र

1. प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा दिये गये ईमेल आई.डी. पर ईमेल द्वारा भेजे जायेगे। प्रवेश पत्र सम्बन्धी एसएमएस अलर्ट अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नं० पर भी भेजे जायेगे। अतएव अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पत्राचार हेतु सही ईमेल आई.डी., मोबाइल नं० दें। इसके अलावा, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र उन्हें आनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवंटित किये गये यूनिक कोड के उपयोग द्वारा बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक डाउनलोड करने में असमर्थ हो तो उसे विद्यालय के कार्यालय से फोन नं० 0542–2398710 पर सम्पर्क करें।
2. प्रिंट आउट किये गये प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज फोटो (वही फोटोग्राफ जो ऑनलाईन भरते समय उपयोग किया गया है) चर्स्पा करें और इसे स्वयं प्रमाणित करें।

महत्वपूर्ण :

1. अभ्यर्थी ध्यान दें कि प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र केवल उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवंटित किये गये यूनिक कोड के उपयोग द्वारा बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. अभ्यर्थी को चाहिए कि वह प्राप्त प्रवेश पत्र में दी गयी सभी प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच कर ले। किसी भी तरह की विसंगति होने पर चीफ कोअडिनेटर सेट 2014 से फोन नं० 0542–2398710 पर तत्काल सम्पर्क करें।

टिप्पणी:-

- (i) प्रवेश परीक्षा की तिथि तथा स्थान से सम्बन्धित जानकारी प्रवेश पत्र पर दी जायेगी।
- (ii) वैध प्रवेशपत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iii) परीक्षार्थियों को चाहिये कि वे अपना प्रवेशपत्र परीक्षा के बाद प्रवेश होने तक सुरक्षित रखें यदि वे काउंसलिंग के लिए बुलाए जाते हैं, तो एडमिशन कमीटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जरुरत पड़ेगी।

विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश सम्बन्धी सभी विषयों में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

22. अत्यावश्यक एवं अनिवार्य :

- क) अभ्यर्थी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संविधान/नियमों/उपनियमों जो समय—समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, से बाध्य होगा।
- ख) किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर उत्तर पत्र को पुनरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ग) प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए स्थानीय वाराणसी या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का क्षेत्राधिकार होगा।
- घ) किसी भी संदेह की दशा में अभ्यर्थी का प्रमाणपत्र/स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जायेगा तथा गलत या जाली पाये जाने की स्थिति में प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट : – भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद सत्य माना जायेगा।